(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2336-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-11-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 385/2000-01 अपील

शिवबहोर पुत्र भीमसेन राम ब्राहमण
ग्राम पोड़ी तहसील कुसमी जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

भोला प्रसाद पुत्र मोतीलाल राम ब्राहमण
ग्राम पोड़ी तहसील कुसमी जिला सीधी --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 7-9-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 385/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-11-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार कुसमी को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम पोड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 0.983 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) शासकीय अभिलेख में अनावेदक के नाम दर्ज है किन्तु अर्सा 50 साल के पहले से उसके पिता और अब वह स्वयं काविज होकर कास्त करता आ रहा है किन्तु खसरे में उसका कब्जा नहीं लिखा जा रहा है इसलिये कब्जा अंकित कराया जाय। तहसीलदार

कुसमी ने प्रकरण क्रमांक 10/अ-6-अ/1993-94 पॅजीबद्ध किया तथा उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 12-7-1994 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने उपखंड अधिकारी मझौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मझौली ने प्रकरण क्रमांक 44/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनॉक 8-6-1995 से अपील अमान्य कर दी। अनुविभागीय अधिकारी मझौली के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 385/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-11-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसीलदार मुसमी के समक्ष निम्नानुसार अंकित करते हुये म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन दिया है :-

> **ग्राम पोड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 0.983 शासकीय अभिलेख में अनावेदक के नाम दर्ज है किन्तु अर्सा 50 साल के पहले से उसके पिता और अब वह स्वयं काविज होकर कास्त करता आ रहा है किन्तु खसरे में उसका कब्जा नहीं लिखा जा रहा है इसलिये कब्जा अंकित कराया जाय।**

विचार करना है कि क्या तहसीलदार को किसी भूमिस्वामी की भूमि के खसरे में किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा कराने के आदेश देने की शक्तियॉ है? म0प्र0 शासन, भू अभिलेख विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2887/22-7/नौ-78 दिनांक 18 अगस्त , 1979 में इस प्रकार के निर्देश हैं -

" शासन ने पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया है कि म0प्र0भू अभिलेख नियमावली भाग 1 के अधयाय 5 में खसरे के कमांक 12 में कब्जे के बारे में प्रविष्टि करने के संबंध में सॅशोधन किया जावे। तद्नुसार निम्न संशोधन किया जाता है जो कि उक्त अध्याय के कंडिका 6 के वाद 6 'अ' के रूप में जोड़ी जाय।

1. ज्यों ही पटवारी भूमि स्वामी की भूमि में किसी अन्य के कब्जे को देखेगा वह ऐसे कब्जे की सूचना भूमिस्वामी और यदि संयुक्त खाता है तो समस्त

हिस्सेदार को एक सप्ताह के अंदर लिखित में देगा और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

1. वह इस प्रकार पाये गये कब्जे की ग्रामवार सूची तैयार करेगा और खसरे की नकल के साथ गिरदावरी कर लेने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार को प्रेषित करेगा।
2. तहसीलदार ऐसी सूचियां प्राप्त होने पर ग्रामवार अलग अलग 115 म0प्र0भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीयत करेगा । वह भूमिस्वामियों को आहुत करेगा औ उन्हें ग्रहण करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो जांच भी करेगा।

इस प्रकार सुनिश्चित कर लेने पर कि वास्तव में पटवारी ने खसरे में सही प्रविष्टियॉ की हैं तो वह उन्हें अभिप्रमाणित करेगा और अन्य स्थिति में अपनी जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टियों में अपने हस्ताक्षर के अधीन परिवर्तन करेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार कुसमी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-6-अ/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 12-7-1994 उन्हें प्राप्त शक्तियों के अधीन है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मझौली ने आदेश दिनॉक 8-6-1995 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 03-11-2006 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 385/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-11-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अवी)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर